<u>कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कोरिया (छ.ग.)</u>

क्र. 562 / जि.प.अ. / स्था / प्रदुषण / 2017 बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/4/2017

//विज्ञापन//

छ.ग. मोटरयान प्रदुषण जांच केन्द्र योजना 2001 के प्रावधान के तहत प्रदुषण जांच की स्थापना हेतु कोरिया जिले में नीचे उल्लेखित स्थानों पर उसके समक्ष अंकित संख्या हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पेट्रोल/डीजल पम्प संचालक एवं आटो डीलर भी आवेदन कर सकते हैं। जिससे अधिक से अधिक प्रदुषण जांच केन्द्र की स्थापना की जा सके। कोरिया जिले में प्रदुषण जांच केन्द्रो की स्थापना हेतु स्थान एवं संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार है:–

क्र.	वाहन प्रदुषण जांच केन्द्र स्थापित किये जाने का स्थान	वाहन प्रदुषण जांच केन्द्र स्थापित किये जाने की संख्या
1	2	3
1	बैकुण्ठपुर	03
2	पटना	01
3	मनेन्द्रगढ़	03
4	नगपुर चौराहा	01
5	चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र	02

आवेदन का प्रारूप

प्रारूप – 01

प्रदुषण जांच केन्द्रो के लिए आवेदन – पत्र

1. आवेदक का नाम..आयु..........................
2. पिता /पति का नाम..
3. डाक का पूर्ण पता..
4. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता..
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. यदि आवेदक आरक्षित वर्ग का हो तो आवश्यक प्रमाण–पत्र सहित उल्लेख करें।
6. आवेदक द्वारा यदि किसी शासकीय योजना के अंतर्गत प्रदुषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु ऋण लिया गया हो तो उसका उल्लेख कर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।

   ....

   ....
7. क्या आवेदक या उसके कर्मचारी के पास मेकेनिक (डीजल) या मेकेनिक (मोटरयान) का आई.टी.आई. या उसके समतुल्य का प्रमाण–पत्र है ?
   योग्यता का उल्लेख एवं आवश्यक प्रमाण– पत्र संलग्न करें।..

8. क्या आवेदक के पास मोटरयान वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र संचालित करने का पूर्व अनुभव है ?
यदि हों तो आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. यान जिसके प्रदुषण की जांच के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
   1. डीजल चलित यान
   2. पेट्रोल चलित यान

10. आवेदक के अधीन कार्यरत् स्टाफ (√टिर करें) –
   1. मैनेजर
   2. फोरमेन/इंजीनियर
   3. मैकेनिक
   4. हेल्फर
   5. अन्य प्रशासनिक स्टाफ। (शैक्षणिक योग्यता सहित)

11. क्या गैस एनालाइजर तथा स्मोक मीटर चलाने वाला स्टाफ प्रशिक्षित है ?
(आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करें)..

12. वाहन जांच रिपोर्ट को अनुप्रामाणित करने वाले व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर के नमूने सहित ....

13. आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित देय फीस रू...........................को रशीद नं. दिनांक ....संलग्न है।

मै एतद्द्वारा घोषित करता हूं की उपरोक्त दिए गए कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

स्थान........................

दिनांक.....................

आवेदक के हस्ताक्षक एवं नाम

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के परिशिष्ट 11 छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदुषण जांच केन्द्र योजना के अधीन प्रदुषण जांच के लिए प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताऐं आवश्यक होगीः–

(क) आवेदक के आवेदन की तारीख को हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और वह आवेदन की तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न हो।

(ख) प्रदुषण जांच केन्द्र संचालय हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आई.टी.आई का मेकेनिक (डीजल), मेकेनिकल (मोटरयान) का प्रमाण–पत्र या समतुल्य प्रामण–पत्र होना चाहिए।

(ग) आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुंए और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित), गैस एनालाईजर (प्रिन्टर सहित), और यानों की ट्यूनिंग के लिये आवश्यक उपस्कर रखना होगा।

(घ) ऐसे आवेदक को जो मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र चलाते हैं या जिनके पास प्रदुषण निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है, अधिमान दिया जावेगा।

(ड़) यदि मोटर वर्कशाप/मोटर सेवा केन्द्र या प्रदुषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास आटोमोबाईल/मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राधिकर – पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की ऋण योजनाओं में प्रदुषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त आवेदक अथवा ईकाई को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा

आवेदन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन वेबसाईट **www.cgtransport.org** के माध्यम से जमा कराना होगा। नगद धनराशि बैंक ड्राफ्ट एवं चालान से स्वीकार नही किया जायेगा। आवेदन दिनांक 30.04.2017 तक इस कार्यालय को कार्यालयीन समय तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

जिला परिवहन अधिकारी
कोरिया (छ.ग.)